रूप-पत्र 19

(नियम 25-क का उपनियम (5) देखिये)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 4-ख के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र

मान्यता के प्रमाण पत्र की संख्या..... सर्किल.....

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट 1948 (जिसे आगे 'उक्त ऐक्ट' कहा गया है) की धारा 4-ख के अधीन और उक्त ऐक्ट तथा तदधीन बनाये गये नियमों, विनियमों और दिये गये आदेशों के उपबन्धों और आगे उल्लिखित शर्तो के अधीन रहते हुये, मान्यता का यह प्रमाण-पत्र.....को (रजिस्टर्ड व्यापारी के नाम)(जिसे आगे उक्त मान्यता प्राप्त व्यापारी कहा जायेगा) दिया जाता है जो एक रजिस्टर्ड व्यापारी है, जिसके पास उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट के अधीन रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र संख्या.....दिनांक.....है और जिसके व्यापार का मुख्य स्थान तथा व्यापार का अतिरिक्त स्थान नीचे उल्लिखित पते पर है:

इस प्रमाण-पत्र के दिये जाने की शर्तें

1.यह प्रमाण-पत्र दिनांक.....से प्रभावी होगा।

1. उक्त मान्यता प्राप्त व्यापारी, उत्तर प्रदेश के किसी विक्रेता व्यापारी को उक्त ऐक्ट और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर नीचे उल्लिखित माल खरीदने के लिए प्राधिकृत है।
2. इस प्रमाण-पत्र के आधार पर खरीदे गये माल का प्रयोग केवल मान्यता प्राप्त व्यापारी द्वारा सिर्फ विज्ञापित माल के निर्माण के लिये ही किया जायेगा।
3. मान्यता प्राप्त व्यापारी यह प्रमाण-पत्र विक्रय-व्यापारी को प्रस्तुत करेगा जब कभी उससे ऐसा करने के लिए कहा जाय।
4. उक्त ऐक्ट और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार इस मान्यता में संशोधन और उसे रद्द किया जा सकता है।

माल जिसे व्यापारी रियायती दरों पर खरीदने के लिए प्राधिकृत है:

1.	---	---	---	---	---	---	---
2.	---	---	---	---	---	---	---
3.	---	---	---	---	---	---	---
4.	---	---	---	---	---	---	---
5.	---	---	---	---	---	---	---
6.	---	---	---	---	---	---	---
7.	---	---	---	---	---	---	---
8.	---	---	---	---	---	---	---
9.	---	---	---	---	---	---	---
10.	---	---	---	---	---	---	---

मुहर

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

स्थान.....

दिनांक.....